राजीव हितेंद्र पठान व अन्य

बनाम

अच्युत काशीनाथ कारेकर व अन्य

सितम्बर 17, 2007

(डा0 अरिजीत पसायत और लोकेश्वर सिंह पंता, जे.जे.)

1- उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम, 1986 - धारा 22 (ए)-राज्य आयोग की शिकायत को बहाल करने की शक्ति जिसे चूक के लिए खारिज कर दिया गया था-के बारे में अलग दृष्टिकोण-समन्वय पीठ दस मुद्दे पर विचार करने के लिए मामले को बडी पीठ को भेजा गया।

2- वर्तमान अपील में विचार के लिये जो प्रश्न उठा है, वह यह है कि क्या राष्ट्रीय आयोग यह अभिनिर्धारित करने में सही था कि राज्य आयोग के पास उस शिकायत को बहाल करने की शक्ति है जिसे चूक के लिये खारिज कर दिया गया था।

3- इस न्यायालय में अपील करते हुए, अपीलार्थी ने तर्क दिया कि न्यू इंडिया इंश्यारेंस व ज्योत्सना के मामले में जो कहा गया है, उसके विपरीत दृष्टिकोण लिया गया है। इसके अलावा, उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम, 1986 को 2003 में संशोधित किया गया था और नई धारा

22 ए जोडी गई थी, जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय आयोग को बहाली की शक्ति दी गई थी, लेकिन राज्य आयोग को ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई थी।

4- मामले को बडी पीठ को सन्दर्भित करते हुए, न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है।

5- बाद के मामले में यानी न्यू इंडिया इंश्यारेंस व ज्योत्सना के मामले में पहले के फैसले के सन्दर्भ में नही दिया गया था । आगे प्रभाव 2003 में उक्त अधिनियम में संशोधन किया जाकर धारा 22 (ए) को जोडा गया है जिसमे राष्ट्रीय आयोग की बहाली की शक्ति प्रदान करने का प्रभाव पडता है, लेकिन राज्य आयेाग को नही, द्वारा व्यक्त किए विचारों के विचलन को देखते हुए पीठों का समन्वय करते हुए, मामले को इस सवाल पर विचार करने के लिए बडी पीठ को भेजा जाता है कि क्या राज्य आयोग के पास एक तरफा आदेश को वापस लेने की शक्ति है। (पैरा-7) (1060-सी)

न्यू इंडिया इंश्यारेंस कंपनी लिमिटेड बनाम आर.श्रीनिवासन (2003) 3 एस.सी. 242, ज्योत्सना अरविन्दकुमार शाह और अन्य बनाम बोम्बे होस्पीटल ट्रस्ट, (1999) 4 एस.एस.सी 325 को सन्दर्भित किया गया है।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः 2007 की सिविल अपील संख्या 4307

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली के पुनरीक्षण याचिका संख्या 551 में 2005 में निर्णय व आदेश से दिनांकित 16.11.2005 से।

सिद्वार्थ भटनागर और पी.डी. खन्ना, अपीलार्थीगण की ओर से

रविन्द्रा केशवराव, प्रत्यर्थीगण की ओर से

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था-

डा0 अरजित पसायत, जे.

1. अवकाश स्वीकृत।

2. इस अपील में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (संक्षेप में ''राष्ट्रीय आयोग'') , नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है जिसमे यह अभिनिर्धारित किया कि राज्य आयोग के पास इसे बहाल करने की शक्ति है जो चूक के कारण खारिज हो गई थी। उपरोक्त निष्कर्ष के लिये राष्ट्रीय आयेाग ने इस न्यायालय के निर्णय पर भरौसा किया। न्यू इंडिया इंश्योंरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम आर. श्रीनिवासन (2003) 3 एस.सी.सी. 242

3.अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दृष्टिकोण इसके विपरीत है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस के मामले में (उपर) में क्या कहा गया है ज्योस्तना अरविन्दकुमार शाह और अन्य में लिया गया। वी. बोम्बे होस्पीटल ट्रस्ट, (1999) 4 एससीसी 325। इसके अलावा उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम, 1986 (संक्षेप में ''अधिनियम'') 2003 मे संशोधित किया गया था और नई शुरू की गई धारा 22ए, राष्ट्रीय आयोग को बहाली की शक्ति दी गई थी, लेकिन ऐसी कोई शक्ति राज्य आयोग को नही दी गई है।

4. दूसरी ओर प्रस्तुत किए गए प्रत्यर्थीगण उत्तरदाताओ के लिये विद्वान अधिवक्ता राष्ट्रीय आयोग ने मामले की तथ्यात्मक स्थिति भेज दी है और इसलिए यह अभिनिर्धारित किया कि पुनर्स्थापना अनुमत थी।

5. ज्योत्सना के मामले मे (उपर) यह पैरा सं. 7 में इस प्रकार देखा गया थाः "हमने प्रतिवादी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता से बात करने के लिये कहा अधिनियम में प्रावधान जो राज्य आयोग को सक्षम बनाता है, पारित किए गए तर्कपूर्ण आदेश को दरकिनार कर दिया, हालंाकि एक तरफा, वह नही कर सकतें। अधिनियम के किसी भी प्रावधान पर अपना हाथ रखे। वास्तव में, राज्य आयोग के समक्ष अपीलकर्ताओं ने इसके संज्ञान मे लाया कि दो आदेश, एक बिहार राज्य आयोग के प्रमुखस वी. हितेन्द्र पठान द्वारा पारित किया गया।"

6. अच्युत काशीनाथ कारेकर (पसायत, जे.) 1059 प्रबंधक, युको बैंक बनाम राम गोविन्द अग्रवाल, (1966) 1 सी.पी.आर. 351 और दूसरा निदेशक, वन में राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित किया गया। दूसरे शब्दों में राज्य आयोग के अनुसार, मामले मे, प्रतिद्वंद्वी (प्रतिवादी) ने लिखित बयान दायर किए है, आदेश पारित करने से पहले राज्य आयोग द्वारा इस पर विचार करने में विफलता एक तरफा आदेश को रद्द करने के लिये एक वैध आधार होगा। हालांकि, राज्य आयोग इस बात को ध्यान मे न रखते हुए गलती मे पड गया कि जिस अधिनियम के तहत वह काम कर रहा है, एयने एक तरफा तर्कपूर्ण आदेश को दरकिनार करने के लिये कोई अधिकार क्षेत्र प्रदान नही किया है। राज्य आयोग के आदेश से यह भी देखा गया है कि यह बोम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय के समापन भाग से इस प्रभाव से प्रभावित था कि प्रतिवादी (रिट याचिकाकर्ता) अपीलीय प्राधिकरण से सम्पर्क कर सकता है या राज्य आयोग के समक्ष एक उचित आवेदन कर सकता है ताकि एक तरंफा आदेश को रद्द किया जा सके, यदि कानून के तहत अनुमति है। यहां फिर से, राज्य आयोग यह समझने मे विफल रहा कि उच्च न्यायालय का अवलोकन प्रतिवादी की मदद करेगा, यदि कानून के तहत अनुमति है। यदि कानून प्रतिवादी को स्थानान्तरित करने की अनुमति नही देता है।

7. एक तंरफा आदेश को दरकिनार करने के लिये आवेदन, जो

स्थिति प्रतीत होती है, राज्य आयोग के एक तरफा आदेश को दरकिनार करने के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है। जैसा कि पहले कहा गया है, इस बात पर कोई विवाद नही है कि अधिनियम मे राज्य आयोग को सक्षम बनाने का कोई प्रावधान नही है। "एक तरफा आदेश को अलग रखने के लिए।"

8. तत्पश्चात न्यू इंडिया इंश्यारेंस के मामले (उपर) में इस न्यायालय ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया है क्योकि जो कुछ हुआ है उससे यह स्पष्ट है कि-

पैरा 18 मे, वही इस प्रकार है:

> " हम केवल अपने विचार के समर्थन में उपरोक्त उक्ति के पीछे के सिद्वान्त की भावना का आवहान करने का इरादा रखते है कि प्रत्येक न्यायालय या न्यायिक निकाय या प्राधिकरण, जिसका कर्तव्य दो पक्षों के बीच किसी मामले का निर्णय करना है, स्वाभाविक रूप से किसी मामले को चूक में खारिज करने की शक्ति रखता है, कहां, जहां एक मामला सुनवाई के लिये बुलाया जाता है और पक्ष उपस्थित नही होता है, न्यायालय या न्यायिक या अर्ध न्यायिक निकाय रखने के लिए बाध्य नही है उसके समक्ष

लंबित मामला या उसकी ओर से मामले को आगे बढाने के लिए शिकायतकर्ता जिसने कार्यवाही शुरू की थी। न्यायालय का कार्य या न्यायिक या अर्ध न्यायिक के उस मामले के लिए शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में, इसलिए अदालत होगा शिकायत को खारिज करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर, गैर अभियोजन के लिए। इसी तरह, इसे बहाल करने की अंतर्निहित शक्ति और अधिकार क्षेत्र भी होगा, गैर उपस्थिति के लिए अच्छे कारण पर शिकायत दिखाई जा रही है शिकायतकर्ता।"

9. बाद के मामले (उपर) में पहले के निर्णय पर नही किया गया था। इसके अलावा 2003 मे अधिनियम में संशोधन का प्रभाव जिसके तहत धारा 22ए पेश की गई थी, राष्ट्रीय आयोग को बहाली की शक्ति प्रदान करने का प्रभाव है, लेकिन राज्य आयोग को नही। समन्वित पीठों द्वारा व्यक्त किए गए विचारो के विचलन को देखते हुए, हम इस प्रश्न पर विचार करने के लिये मामले को एक बडी पीठ मे पास भेजते है कि क्या राज्य आयोग के पास एक तरफा आदेश को वापस लेने की शक्ति है। उचित आदेशों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय के समक्ष अभिलेख रखे जाने चाहिए।

10. बडी बैंच को सन्दर्भित किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ज्योति भट्ट (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।